

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—वर्तिक 12, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 का राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अह्तेशानुसार,  
अशोक कुमार पोद्दार, उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
अधिनियम, 2006छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005)  
में संशोधन हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006" के नाम से जाना जावेगा.
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.
- परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- "मूल अधिनियम" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005
- प्रावधानों में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधानों की प्राप्ति, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नोलॉजी (आई सेक्ट)	सं एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करमा रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को तकनीकी (आभ्यांत्रिकी, प्रमाण एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्स्ट एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खोरा हाईवे ग्राम पंचायत गुल्लु, ग्राम गुल्लु तहसील आरंग जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों को एवं धन, व्यवसाय, वाणिज्य, आभ्यांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक, फार्मसी, कला एवं मानविकी, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारूपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार चौधरी, उप-सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 29 of 2006)

**CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND  
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006**

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definition.

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).
3. In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. C. V. Raman University	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 208 dated 14-8-2002.	Kargi Road. (Kota) District : Bilaspur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post Graduation and Diploma Courses in the faculties of Technology (Engineering, Rural Information), Science, Commerce, Education and



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu. Village : Gullu, Tehsil : Arang. District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management, Business, Commerce, Engi- neering, Information Technology, Life Sciences, Pharmacy, Arts & Humanities, Law, Education and Science and matters related to.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन, नं०  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रल/छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14-02-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. पी. पाराशर. उप-सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) अधिनियम के अनुसूची में सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ प्रतिपादित की जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कलिंग विश्व-विद्यालय	भगवान श्री बाला साईं एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी, रायपुर.	फर्म्स एवं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) संशोधन क्रमांक- 2561 छ. ग. राज्य दिनांक 08-01-04.	ग्राम कोटनी, गलौंद, तहसील- आरंग, जिला- रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य	मेनेजमेंट कंप्यूटर साईंस इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्ना-लाजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नात-कोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी.एफ. ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी.एफ. ए.आई. सोसायटी रायपुर	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधि-नियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 10) संशोधन क्रमांक- 25 जूलाई, 2002	ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्किल, अतिशाय, प.म.प. जिला- दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्य-वसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्यो-गिकी, कला, ह्यूमनटाज विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.



रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 06 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डॉ. पी. पाराशर, उप-सचिव,

CHHATTISGARH ACT  
(No. 6 of 2011)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND  
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and  
Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of  
India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and  
Operation) (Amendment) Act, 2006.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act,  
2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related  
thereto, shall be added.

Short title, extent  
and Commence-  
ment.

Amendment of  
Schedule.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga University	Bhagwan Bala Sai Educational and Charitable Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 2561 dated 8-1-2004.	Gram Kotni, Palod, Teh.- Arang- District- Raipur (C.G.)	Chhattisgarh State.	Manage- ment Com- puter Science, Information Technology, Bio Techno- logy, Bio Informatics UG and PG in Arts, Science and Commerce faculties.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	I.C.F.A.I. University	The I.C.F.A.I. Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 203 dated 25-6-2002.	Gram Chorha, R.I. Circle Ahiwara Dhamdha Dist. Durg (C.G.)	Chhattisgarh State.	Business Management, Commerce, Information Technology, Arts, Humanities, Law, Education, Science & related subject.

Engineering -  
Technology



✕  
बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
शुल्क के बगैर भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रल/छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	आई.टी.एम. विश्व-विद्यालय	आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक- 2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>● कम्प्यूटर साइंस</li> <li>● इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी</li> <li>● बायो-टेक्नालॉजी</li> <li>● बायो-इंफॉर्मेटिक्स</li> <li>● कला</li> <li>● विज्ञान</li> <li>● वाणिज्य</li> <li>● इंजीनियरिंग</li> <li>● माइक्रोबायोलॉजी</li> <li>● नैनोटेक्नालॉजी</li> <li>● फार्मेसी</li> <li>● बीमा</li> <li>● शारीरिक शिक्षा</li> <li>● व्यवसाय प्रबंधन</li> <li>● ह्यूमैनिटीज</li> <li>● विधि</li> <li>● शिक्षा विज्ञान</li> <li>● स्वास्थ्य विज्ञान</li> <li>● हॉटल मैनेजमेंट</li> <li>● फैशन डिजाइनिंग</li> </ul>

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- पत्रकारिता एवं जनसंचार
- प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम."

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 6 of 2012)

**THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND  
OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011**

**An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).**

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

- |    |     |   |                                       |
|----|-----|---|---------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011. | Short title, extent and commencement. |
|    | (2) | It extends to the whole State of Chhattisgarh.  |                                       |
|    | (3) | It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.                                  |                                       |



Amendment of 2. In the schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number (4), the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of establishment of Sponsoring body	Main campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	ITM University	ITM Society Raipur	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. 2755 CG State dated 13-08-2003	P.H.No.-137, Village- Uparwara, Tehsil- Abhanpur, District- Raipur, Pin- 493661	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses and M.Phil., Ph.D. and other Research courses in- <ul style="list-style-type: none"> <li>● Computer Science,</li> <li>● Information Technology,</li> <li>● Bio-Technology,</li> <li>● Bio-Informatics,</li> <li>● Arts,</li> <li>● Science,</li> <li>● Commerce,</li> <li>● Engineering,</li> <li>● Microbiology,</li> <li>● Nano-technology,</li> <li>● Pharmacy,</li> <li>● Insurance,</li> <li>● Physical Education,</li> <li>● Business Management,</li> <li>● Humanities,</li> <li>● Law,</li> <li>● Education Science,</li> <li>● Health Sciences,</li> <li>● Hotel Management,</li> <li>● Fashion Designing,</li> <li>● Journalism and Mass Communication,</li> <li>● Management Technology subjects."</li> </ul>

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के  
बराबर भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण  
हेतु अनुमति क्रमांक जी 3-22-छत्तीसगढ़  
मजद / 38 सि. से मिली है, दिनांक  
30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक  
"छत्तीसगढ़/मु/09/2011-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अगस्त 2014 — भावण 30, वक्र 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी. 136/21-अ/प्रान्त/ख. ग. /14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-08-2014 को राजपत्रान्त की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एकद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुभमा साकंभर, अतिरिक्त सचिव

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**

(क्रमांक 13 सन् 2014)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- अधिनियम नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलाएगा.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राज्य में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 9 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- "(2क) उप-धारा (2) में अंतर्बिष्ट किसी बात के होने हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, दो वर्षों से अधिक समय पूर्व प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार कर सकेगी."
- अनुसूची का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, सारत क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सारत क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय	प्रायोजक विभाग का नाम	प्रायोजक विभाग की सं. नाम	मुख्य धीसर स्थापना की प्रक्रिया (मुख्यालय)	सहायक विभाग	सिद्धान्त कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6.	एमिटी एनिसिटी	श्री सितनंद बालवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस-36655 सन् 1996 दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांड तहसील-गिला जिन्ना-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बला,</li> <li>● विज्ञान,</li> <li>● वाणिज्य,</li> <li>● इंजीनियरिंग,</li> <li>● मैने-टेक्नोलॉजी,</li> <li>● अर्थशास्त्र प्रबंधन,</li> <li>● विधि,</li> <li>● हॉटल मैनेजमेंट,</li> <li>● फैशन डिजाइनिंग,</li> </ul> <p>विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके सम्बन्धित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.</p>
----	---------------	--	--	---	-----------	--



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	ओ. पी. विन्धन यूनिवर्सिटी	विन्धन एड्युकेशन एण्ड वेल्फेयर सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रार ऑफिस, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) वंजीयर क्रमांक बी. एस. 2171, दिनांक 4-5-1998	ओ. पी. विन्धन सर्विस पार्क, ग्राम-पुंतीपारा, लहरीत-छरपोड़ा, जिला-रायगढ़ छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय,</li> <li>• मैनेजमेंट बिजनेस संकाय,</li> <li>• विज्ञान संकाय,</li> <li>• शिक्षा संकाय,</li> <li>• सार्वजनिक शिक्षा संकाय</li> </ul>

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी 136/21-अ/प्रक./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसार मे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) का अंतिम अनुवाद राजपत्र के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुष्मा सावंत, उपाधिका सचिव

# CHHATTISGARH ACT (No. 13 of 2014)

## THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2014.
  - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
  - (3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.
- After sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), to establish a private university under sub-section (1) of this Section, the State Government may also consider any application submitted before the period of more than two years."

Amendment of 3. In the Schedule to the Principal Act, after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Amity University	Shri Rinaad Balved International Education Foundation	The society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) Registration No. S-30655 of 1996, dated 19-12-1996.	Village-Manth Talsid-Tilda District-Rajnagar Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses, M. Phil, Ph.D. and other research courses in - <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arts,</li> <li>• Science,</li> <li>• Commerce,</li> <li>• Engineering,</li> <li>• Nano-technology,</li> <li>• Business Management,</li> <li>• Law,</li> <li>• Hotel Management,</li> <li>• Fashion Designing.</li> </ul>
7.	O. P. Jindal University	Jindal Education and Welfare Society.	The Chhattisgarh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. B. S. 2171, dated 4-5-1998	O. P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathra, Tehsil-Gharghoda, District-Rajnagar Chhattisgarh	Chhattisgarh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faculty of Engineering &amp; Technology,</li> <li>• Faculty of Management Science,</li> <li>• Faculty of Science,</li> <li>• Faculty of Education,</li> <li>• Faculty of Physical Education"</li> </ul>

25000 - 1.00 लाख 9626 13015

1/1/15

"विजयेश पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के साथ भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक:  
"छत्तीसगढ़/पुर/89/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 मई 2015 — वैशाख 25, संक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी. 154/11-अ/शास./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का विनियमित अधिवेशन जिस पर दिनांक 01-05-2015 को राजपत्र की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एकद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भुष्मा सावंत, अतिरिक्त सचिव.



**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(अप्रैल 21 सन् 2015)

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन)  
अधिनियम, 2015**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (अ. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के विधायिकाओं ने वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा विधायिकात्मक रूप में यह अधिनियमित हो :-

विवरण नाम, विस्तार तथा प्रारंभ	1.	(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
धारा 7 का संशोधन	2.	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (अ. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उप-धारा (3) में, अंक "25,000" के स्थान पर, अंक "1,00,000" प्रतिस्थापित किया जावे।
धारा 11 का संशोधन	3.	(1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "एक करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे। (2) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "तीन करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पाँच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जावे।

राजपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी. 154/21-अ/प्रान./अ.म./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (1) के अनुच्छेद में इस विभाग की समस्त/अधिसूचना दिनांक 14-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राजपत्र के प्राधिकार से सार्वजनिक प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुप्रभा सावंत, अतिरिक्त सचिव

CHHATTISGARH ACT  
(No. 21 of 2015)THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES  
(ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2015.   | Short title, extent and commencement. |
|    | (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.   |                                       |
|    | (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.  |                                       |
| 2. | In sub-section (3) of Section 7 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figure "25,000", the figure "1,00,000" shall be substituted. | Amendment of Section 7.               |
| 3. | (1) In clause (a) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "One crore rupees", the words "Three crore rupees" shall be substituted.   | Amendment of Section 11.              |
|    | (2) In clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "Three crore rupees", the words "Five crore rupees" shall be substituted.  |                                       |

"विजयनगर गार्ड, के अन्तर्गत डाक शुल्क के  
नाम प्रदान (विशेष डाक टिकट) के प्रकाश  
हो अनुमति क्रमांक 2-22-छत्तीसगढ़  
गार्ड / 18 वि. ग. प्रिन्टिंग विभाग  
30-05-2014"



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

प्राप्तियन क्रमांक

छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2014-345

अनुमति क्रमांक 2/22-छत्तीसगढ़

30/05/14

31-8-14

क्रमांक 391 ]

राजपत्र, दुर्ग, दिनांक 17 मई 2014 — भाग 26, प्रकाश 1936

उच्च शिक्षा विभाग

मन्त्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2 — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (च. 13) एवं 2005 (नं. 4) के  
अनुच्छेद 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एन.ए.आर. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 में विद्यमान  
और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम में :-

1. नियम 14 के उप-नियम (1) में, शब्द "अंक एवं विन्दु" "रुपये 1,000/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 2000" प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 17 के खण्ड (ग) में, शब्द "अंक एवं विन्दु" "रुपये 500/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 1000" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एन. गुप्ता, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (1) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना  
क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2, दिनांक 16-05-2014 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रसिध्दता से एन.ए.आर. प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. एन. गुप्ता, उप-सचिव



Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. F-5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said rules:—

1. In sub-rule (19) of rule 14, for the word, figure and symbol "Rs. 1000/-", the word and figure "Rs. 2000" shall be substituted.
2. In clause (c) of rule 17, for the word, figure and symbol "Rs. 500/-", the words and figure "Rs. 1000" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh:  
M. L. GUPTA, Deputy Secretary